रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092020-221543
CG-DL-E-03092020-221543

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2658] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2020/भाद्र 12, 1942
No. 2658] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2020/BHADRA 12, 1942

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2020

दि.मु.यो.-2021 से उत्पन्न आवासीय सम्पत्तियों, सहकारी समूह आवास, मिश्रित उपयोग/कर्मिशयल स्ट्रीट और व्यावसायिक सम्पत्तियों (होटल और पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) के लिए बढ़े हुए एफ.ए.आर. हेतु लागू की जाने वाली दरों का निर्धारण ।

का.आ. 2989(अ).—1. दि.मु.यो.-2021 से उत्पन्न आवासीय सम्पत्तियों, सहकारी समूह आवास, मिश्रित उपयोग/कर्मिशयल स्ट्रीट और व्यावसायिक सम्पत्तियों (होटल और पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) के लिए बढ़े हुए एफ.ए.आर. हेतु लागू की जाने वाली दरों का.आ. 3172(अ) दिनांक 29.06.2018 द्वारा अधिसूचित की गई थी। तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित दरें छह महीने की विंडो पीरियड अर्थात् 28.12.2018 तक के लिए वैध थी और उसके बाद कॉलम 5 में उल्लिखित दरें लागू की जानी थी। कॉलम 4 में उल्लिखित प्रभारों की अनुप्रयोज्यता का.आ. 359(अ) दिनांक 21.01.2019 के साथ पठित का.आ. 373(अ) दिनांक 23.01.2019 के द्वारा छह महीने अर्थात् दिनांक 28.06.2019 तक बढ़ा दी गई थी और उसके बाद अधिसूचना का.आ. 2271(अ) दिनांक 01.07.2019 के द्वारा दिनांक 28.06.2020 तक बढ़ा दी गई थी।

2. अधिसूचना का.आ. 3172(अ) दिनांक 29.06.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए सुविधा केंद्रों/ स्थानीय बाजारों और दुकान एवं आवासीय प्लॉटों/दुकान प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों हेतु मद सं. 4(ए) की दरों को का.आ. सं. 2892(अ) दिनांक 09.08.2019 द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया और अधिसूचित किया गया था, जो 28.06.2020 तक मान्य थी । अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया कि इसके बाद इन दरों की समीक्षा की जाएगी और तालिका के कॉलम 1 के अनुसार इन्हें निर्धारित किया जा सकता है।

अब दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद् द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 और 2 के अंतर्गत प्रभारों की प्रयोज्यता हेतु वैधता अवधि को दिनांक 31.12.2020 तक आगे बढ़ाता है। इसके बाद इसकी समीक्षा/निर्धारण ऊपर दिए गए पैराओं में यथा-उलिलखित अनुसार किया जाएगा।

[फा. सं. एफ 2(14)2017-18/एओ(पी)/डीडीए]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd Septermber, 2020

Fixation of rates to be applied for enhanced FAR for residential properties, Coop. Group Housing, Mixed Use/Commercial streets and commercial properties (excluding hotel and parking plots) arising out of MPD 2021

S.O. 2989(E).—1. The rates to be applied for enhanced FAR for residential properties, Coop. Group Housing, mixed use/Commercial Streets and Commercial Properties (excluding hotel and parking plots) arising out of MPD 2021 were notified *vide* S.O. 3172 (E) dated 29.06.2018 . The rates under column 4 of the table were valid for a window period of six months, i.e. up to 28.12.2018 and thereafter the rates as shown under column 5 were to apply. The period for applicability of the charges mentioned under Column 4 was extended for a period of six months i.e. up to 28.06.2019 *vide* S.O. 359(E) dated 21.01.2019 read with S.O. 373(E) dated 23.01.2019 and subsequently up to 28.06.2020 *vide* Notification S.O. 2271(E) dated 01.07.2019.

2. In partial modification of Notification S.O. 3172(E) dated 29.06.2018, the rates of item No. 4(A) for Additional FAR charges for CSCs/LSCs and shop-cum-residential plots/shop plots were rationalized and notified *vide* S.O. No. 2892(E) dated 09.08.2019 which were valid up to 28.06.2020. The notification further provided that thereafter these rates shall be reviewed and may be fixed as given in Column 1 of the Table.

Now in exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government, hereby further extends the validity period for applicability of the charges under Para 1 & 2 above up to 31.12.2020. Thereafter same shall be reviewed/fixed as mentioned in paras hereinabove.

[F. No. F2(14)2017-18/AO(P)/DDA]

D. SARKAR Commissioner-cum-Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2020

परिसरों और दुकान एवं आवासीय प्लॉटों/परिसरों जिन्हें बाद में स्थानीय बाजारों (एल एस सी) के रूप में निर्दिष्ट किया गया, के मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों का निर्धारण।

का.आ. 2990(अ).—1. परिसरों और दुकान एवं आवासीय प्लॉटों/परिसरों जिन्हें बाद में स्थानीय बाजारों (एल एस सी) के रूप में निर्दिष्ट किया गया, के मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों के निर्धारण के लिए लागू की जाने वाली दरें का.आ. 3173(अ) दिनांक 29.06.2018 के द्वारा अधिसूचित की गई थी। भाग-क के पैरा 5.3 और भाग ख के पैरा 4 के अंतर्गत यथा उल्लिखित इन प्रभारों की अनुप्रयोज्यता अवधि 6 महीने के लिए वैध थी और उसके बाद इन प्रभारों की समीक्षा की जानी थी। इसे का.आ. 358(अ) दिनांक 21.01.2019 के साथ पठित का.आ. 372(अ) दिनांक 23.01.2019 के द्वारा 6 महीने की अवधि अर्थात् दिनांक 28.06.2019 तक बढ़ाया गया था और इसके बाद अधिसूचना संख्या का.आ. 2270(अ) दिनांक 01.07.2019 द्वारा 28.06.2020 तक बढ़ाया गया था।

2. अधिसूचना का.आ. 3173(अ) दिनांक 29.06.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए दुकान एवं आवास प्लॉटों/परिसरों/दुकान प्लॉटों जिन्हें भाग ख के अंतर्गत स्थानीय बाजारों (एल एस सी) के रूप में बाद में निर्दिष्ट किया गया, के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों हेतु दरों को आगे का.आ. सं. 2891(अ) दिनांक 09.08.2019 द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया और अधिसूचित किया गया था, जो दिनांक 28.06.2020 तक वैध थी। अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया कि इसके बाद इन दरों की समीक्षा की जाएगी और तालिका के कॉलम 3 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

अब दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद् द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 और 2 के अंतर्गत प्रभारों की प्रयोज्यता हेतु वैधता अवधि को दिनांक 31.12.2020 तक आगे बढ़ाता है। इसके बाद इसकी समीक्षा/निर्धारण ऊपर दिए गए पैराओं में यथा-उलिलखित अनुसार किया जाएगा।

[फा. सं. एफ 2(14)2017-18/एओ(पी)/डीडीए]

डी. सरकार आयुक्त एवं सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2020

Fixation of use conversion charges for Mixed Use/Commercial Use of Premises and Shop-cum-residence plots/Complexes later designated as LSCs.

S.O. 2990(E).—1. The rates to be applied for fixation of use conversion charges for Mixed Use/Commercial Use of Premises and Shop-cum-residence plots/Complexes later designated as LSCs were notified *vide* S.O. 3173(E) dated 29.06.2018. The period for applicability of these charges as mentioned under Para 5.3 of Part A and Para 4 of Part B was valid for six months and thereafter these charges were to be reviewed. This was extended for a period of six months i.e. up to 28.06.2019 *vide* S.O. 358(E) dated 21.01.2019 read with S.O. 372(E) dated 23.01.2019 and subsequently up to 28.06.2020 *vide* Notification No. S.O. 2270(E) dated 01.07.2019.

2. In partial modification of Notification S.O. 3173(E) dated 29.06.2018, the rates for use conversion charges for shop-cum-residence plots/complexes/shop plots later designated as LSCs under Part B were further rationalized and notified *vide* S.O. No. 2891(E) dated 09.08.2019 which were valid up to 28.06.2020. This notification further provided that these rates shall be reviewed thereafter and fixed as given in Column 3 of the Table.

Now, in exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby further extends the validity period for applicability of the charges under Para 1 & 2 above up to 31.12.2020. Thereafter the same shall be reviewed/fixed as mentioned in paras hereinabove.

[F. No. F2(14)2017-18/AO(P)/DDA]

D. SARKAR Commissioner-cum-Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA